<u>न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डी०) हाथरस।</u>

मुकदमा संख्या - 45/2026
केला देवी बनाम दिनेश
मु०अपराध संख्या-250/2025
धारा-87 बी.एन.एस.
अंतिम आख्या संख्या-56/2025
थाना-हाथरस जंक्शन, जनपद-हाथरस।

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। पुकार पर वादिया मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3 पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि **अपराध सं०–250/2025, अं० धारा–87 बी.एन.एस., थाना–हाथरस जंक्शन, जिला–हाथरस** में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। उपरांत वादी मुकदमा को पुलिस द्वारा प्रेषित **अंतिम आख्या संख्या 56/2025** पर विरोध याचिका दायर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। वादिया मुकदमा द्वारा दिनांक 19.02.2026 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अतः प्रपत्रों के परिशीलन से कोई साक्ष्य अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार प्रार्थिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.02.2026 व पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

5. प्रार्थिया/वादिया कैला देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.02.2026 स्वीकार किया जाता है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या **संख्या–56/25, दिनांकित** 09.11.2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 03.07.2026

(दीपक नाथ सरस्वती)
अपर सिविल जज (व०प्र०),
हाथरस।
(जे०ओ० कोड-यू०पी० 2243)